चौथी अनुसूची

माल का वर्गीकरण-वर्गों के नाम

(किसी वस्तु या उपकरण के भागों को साधारणतया वास्तविक वस्तु या उपकरण में साथ वर्गीकृत किया जाता है, सिवाय वहां के जहाँ ऐसा माल किसी अन्य वर्ग में सम्मिलित वस्तु गठित करते हैं) का गठन।

वर्ग 1

उद्योग, विज्ञान,फोटोचित्रण, कृषि, उद्यानकृषि और वानिकी में प्रयुक्त रसायन, अप्रसंस्कृत कृत्रिम रेजिन, अप्रसंस्कृत प्लास्टिक, खादें, संयोजन टैंम्परिंग और सोल्डरन निर्मितियां, खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए रासायनिक पदार्थ,चर्मशोधन पदार्थ, उद्योग में प्रयुक्त किए जाने वाले

आवश्यक।

वर्ग 2

पेंट, वार्निश, लेकर (रलाक्ष), जंग के विरुद्ध और काष्ठ के क्षय के विरुद्ध परिरक्षी, कोटोरैंट, रंजक कच्चा प्राकृतिक रैज़िन पेंटरों के लिए पर्णिका और चूर्ण रूप में धातुएं, सजावट करने वाले, मुद्रक और कलाकार।

वर्ग 3

लांड्री उपयोग के लिए विरंजन निर्मितियां और अन्य पदार्थ, निर्मलन, पालिशकरण, मंजाई और अपधर्षी निर्मितियां, साबुन, सुगंध सामग्री, आवश्यक तेल, शृंगार सामग्री, केश, लोशन, दंत मंजन।

वर्ग 4

औद्योगिक तेल और चिकनाई (ग्रीज), स्नेहक, धूल अवशोषक, आर्द्र कारक और बंधन घटक, ईंधन (जिसके अन्तर्गत मोटर स्पिरिट है) तथा प्रदीपक, कैंडल, बत्ती।

वर्ग 5

भेषजीय, पशु चिकित्सा और स्वच्छता संबंधी निर्मितियां, चिकित्सा उपयोग के लिए अनुकूलित आहारिक पदार्थ, शिशुओं के लिए खाद्य, प्लास्टर, मरहम पट्टी (ड्रेसिंग) के लिए सामग्री, दंत भराई सामग्री, दंत मोम, विसंक्रामक (रोगाणु नाशी) पीड़क जंतु, कवच नाशी, शाकनाशी नष्ट करने के लिए निर्मितियां।

वर्ग 6

सामान्य धातुएं और उनके मिश्रातु, धातु निर्माण सामग्रियां, सामान्य धातु के परिवहनीय, निर्माण, रेल पटरियों के लिए धातु की सामग्रियां, सामान्य धातु के गैर विद्युत, केबल और तार, लौह व्यापार,धातु हार्ड वेयर की छोटी मदें, धातु के पाइप और ट्यूब, सेफ, अन्य वर्गों में न सम्मिलित की गई सामान्य धातु के माल, अयस्क।

वर्ग 7

मशीन और मशीनों के औजार, मोटर और इंजिन (भूमि यानों के सिवाय) मशीन युग्मक और पारेषण घटक, (भूमि यानों के सिवाय) हस्तचालित से भिन्न कृषि उपकरण, अंडों के लिए उष्मायित्र।

वर्ग 8

हाथ के औजार और उपकरण (हाथ से चलाए जाने वाले), कटलरी, पार्श्व आयुध, छुरा।

वर्ग 9

वैज्ञानिक, नौ, सर्वेक्षण, विद्युत, फोटो चित्रण, सिनेमा चित्रण (सिनेमैट्रोग्राफिक), प्रकाशिक, तुलन, मापन संकेतक, जांच (पर्यवेक्षण) जीवन रक्षक और शिक्षण साधित्र तथा उपकरण, रिकार्ड करने के लिए साधित्र,ध्वनि या प्रतिबिम्ब पारेषण या पुनरुत्पादक, चुंबकीय डाटा वाहक, रिकार्डिंग डिस्क, सिक्का आयोजित उपकरण के लिए स्वचालित वैंडिंग मशीन और मैकनिज्म, नकद, कैश रजिस्टर, संगणक मशीनें, डाटा प्रसंस्करण उपस्कर और कंप्यूटर, अग्नि शामक उपकरण।

वर्ग 10

शल्य क्रिया संबंधी, आयुर्विज्ञान संबंधी, दंत रोग संबंधी तथा पशु चिकित्सा संबंधी औजार और उपकरण, कृत्रिम अंग, आंख और दांत, विकलांगों के लिए वस्तुएं, सीवन सामग्रियां।

वर्ग 11

प्रकाश करने, ताप करने, भाप पैदा करने, पकाने, प्रशीतन करने, सुखाने, वातायन, जल प्रदाय और स्वच्छता प्रयोजनों के लिए उपकरण।

वर्ग 12

यान, भूमि, वायु या जल द्वारा संचलन के लिए उपकरण।

वर्ग 13

अग्न्यायुध, गोला बारूद और प्रक्षेपक, विस्फोटक सामग्री, आतिशबाजी।

वर्ग 14

बहुमूल्य धातुएं और उनकी मिश्रातु तथा बहुमूल्य धातुओं में या उनके लैपित माल जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है, आभूषण, बहूमूल्य रत्न होरोलाजिकल या अन्य कालमापन यंत्र।

वर्ग 15

खाद्य यंत्र।

वर्ग 16

कार्ड, कागज बोर्ड तथा इन सामग्रियों से बनाए गए माल जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है, मुद्रित सामग्री, जिल्द साजी सामग्री, फोटोग्राफ, लेखन सामग्री, या गृहस्थी के प्रयोग के लिए आसंजक, कलाकार सामग्रियां, पेंट ब्रुश, टाइप राइटर और कार्यालय के लिए अपेक्षित वस्तुएं (फर्नीचर को छोड़कर), अनुदेशात्मक तथा शैक्षणिक सामग्रियां (साधित्र को छोड़कर), पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक सामग्रियां (जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है), ताश, मुद्रण टाइप, मुद्रण ब्लॉक।

वर्ग 17

रबर, गट्टा, परचा, गोंद, ऐस्बेस्टास, अभ्रक और वे सामान जो इन सामग्रियों से बनाए गए हैं तथा अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं किए गए हैं, विनिर्माण में प्रयोग के लिए उत्सारित रूप में प्लास्टिक, पैकिंग, भराई और विद्युत् रोधन सामग्रियां, नमनीय पाइप जो धातु के न हों।

वर्ग 18

चमड़ा और चमड़े की अनुकृति और इन सामग्रियों से बने सामान जो अन्य वर्गों में सम्मिलित नहीं हैं, पशुओं की चमड़ी, खाल, ट्रंक और यात्रा बैग, छाता, आतपत्र (पैरासोल) और टहलने की छड़ी, चाबुक, साज सज्जा और जीन साजी।

वर्ग 19

भवन निर्माण सामग्री (गैर धात्विक), भवन, निर्माण के लिए गैर धातु का कठोर पाइप एसफाल्ट, अलकतरा और बिटुमेन, गैर धात्विक परवहनीय भवन, संस्मारक जो धातु के न हों।

वर्ग 20

फर्नीचर, दर्पण, चित्र चौखटा (पिक्चर फ्रेम) काष्ट के माल (जो अन्य वर्गों में सम्मिलित न हों), कार्क रीड, बैंत (गन्ना), बत्ती, सींग, अस्थि, हाथी दांत, व्हेल अस्थि, खोल, अम्बर, मुक्ता सीप, समुद्र फेन और इन सभी सामग्रियों के लिए या प्लास्टिक के अनुकल्प।

वर्ग 21

गृहस्थी के या रसोई के बर्तन और आधान (जो बहुमूल्य धातु के या उससे लेपित न हों) कंघियों और स्पंज, ब्रुश (पेंट के ब्रुशों को छोड़कर) ब्रुश बनाने की सामग्रियां, निर्मलन प्रयोजनों के लिए वस्तुएं, इस्पात, ऊन, अकर्मित या अर्द्ध कर्मित कांच (भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वालों को छोड़कर) कांच के बर्तन पोर्सलीन या मिट्टी के बर्तन जो अन्य वर्गों में सम्मिलित न हों।

वर्ग 22

रज्जु, डोरी, जाल, तंबू, सामियान, तिरपाल, पाल, बोरी और बैग (जो अन्य वर्ग में सम्मिलित न हों) पैड लगाने और भराव सामग्रियां (रबर और प्लास्टिक को छोड़कर) कच्ची रेशेदार टैक्सटाइल सामग्रियां।

वर्ग 23

टैक्सटाइल में उपयोग के लिए यार्न और धागे।

वर्ग 24

टैक्सटाइल और टैक्सटाइल माल जो अन्य वर्गों में सम्मिलित न हो, बिस्तर और मेज आच्छादन (टेबल कवर)।

वर्ग 25

कपड़े, जूतादि, सिर का पहनावा।

वर्ग 26

फीता, कसीदाकारी, रिबन और ब्रेड, बटन, हुक और नाके पिन और सूइयां, कृत्रिम फूल।

वर्ग 27

कालीन, रंग, पायदान और चटाई, विद्यमान फर्श को ढकने के लिए लिनोलियम और अन्य सामग्रियां, भित्ती परदा, (वाल हैंगिंग) (गैर वस्त्रीय)।

वर्ग 28

खेल और खेल के सामान (खिलौना), व्यायाम और क्रीड़ा वस्तुएं जो अन्य वर्ग में सम्मिलित नहीं हैं, क्रिसमस वृक्ष का अलंकरण।

मांस, मत्स्य, कुक्कुट और खेल, मांस निष्कर्ष, परिरक्षित, सुखाए गए तथा पकाए गए फल और वनस्पतियां, जेली, जैम, फ्रूट सॉस, अंडे, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल और वसा।

वर्ग 30

काफी, चाय, कोका कोला, चीनी, चावल, टेपियोका, साबूदाना, कृत्रिम काफी, आटा और अनाज से बनी निर्मितियां, ब्रेड पैस्ट्री, मिष्ठान, बर्फ, शहद, राब, यीस्ट, पाक चूर्ण, नमक, राई (सरसों), सिरका, चटनी, (स्वादक), मसाला, बर्फ।

वर्ग 31

कृपिक, उद्यान कृपि, बनिकी उत्पाद और अन्न जो अन्य वर्गों में सम्मिलित न हो, जीवित पशु, ताजे फल और वनस्पतियां, प्राकृतिक पौध और फूल, पशुओं के लिए खाद्य पदार्थ, माल्ट।

वर्ग 32

बीयर, खनिज और वातित जल और अन्य गैर एल्कोहालिक पेय, फल पेय और फल जूस, सीरप तथा सुपये बनाने के लिए अन्य निर्मिति।

वर्ग 33

मद्यसारिक सुपये (बीयर को छोड़कर)

वर्ग 34

तंबाकू, धूम्रपान वस्तुएं, दिया सलाई।